निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या **DMO**-90 वर्ष **2017-18**

यह निरीक्षण प्रतिवेदन जिला खान अ धकारी चम्पावत द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार कया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी कसी भी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय जिला खान अ धकारी चम्पावत के माह 04/2012 से माह 03/2017 तक के लेखा अ भलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री डी.के. श्रीवास्तव एवं श्री कलवन्त संह सहायक लेखापरीक्षा अ धकारियों एवं श्री एफ़ आर खान, वरिष्ठ संप्रेक्षक द्वारा दिनांक 23.10.2017 से 28.10.2017 तक श्री नवीन चन्द्र शंखधर लेखापरीक्षा अ धकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित कया गया।

<u>भाग-I</u>

1. परिचयात्मकः इस इकाई की वगत लेखापरीक्षा श्री ...., पर्यवेक्षक तथा .... वरिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक ....-...... से .....-....... तक ...., वरिष्ठ लेखापरीक्षा अ धकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी जिसमें माह ....से ....तक के लेखा अ भलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 04/2012 से 03/2017 तक के लेखा अ भलेखों की जांच की गयी।

2. (i) इकाई के क्रयाकलाप एवं भौगो लक अ धकार क्षेत्र: सम्पूर्ण चम्पावत जिला

(ii) (अ) **<u>राजस्व का विवरण:</u>** विगत वर्षो में कार्यालय द्वारा अर्जित राजस्व का व्यौरा निम्नवत है :

<u>वर्ष</u>	<u>अर्जित राजस्व (रू लाख में)</u>
2012-13	199.05
2013-14	673.73
2014-15	809.75
2015-16	721.49
2016-17	1194.13

(ii) (ब) **बजट** का विवरण

वगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष (` लाख में)		स्थापना (` लाख में)		गैर स्थापना (` लाख में)	
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय
2013-14	-					
2014-15						
2015-16						
2016-17						

(स) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त नि ध एवं व्यय ववरण निम्नवत हैः

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष `	प्राप्त `	व्यय
2015-16		शून्य		
2016-17				

(iii) इकाई को बजट आवंटन (बजट प्राप्त नहीं होता है) राजस्व प्राप्ति को सम्मि लत करते हुए इकाई ब श्रेणी की है।

(iv) वभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

स चव- अपर स चव- निदेशक- अपर निदेशक- संयुक्त निदेशक- ज्येष्ठ खान अ धकारी

(V) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा व धः लेखापरीक्षा में जिला खान अ धकारी चम्पावत को आच्छादित कया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वतरण अ धकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी कये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन जिला खान अ धकारी चम्पावत की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है।

(Vi) वस्तृत जांच हेतु माह का चयन :-

माह 03/2014,10/2015 एवं 03/2017 को वस्तृत जांच (राजस्व) हेतु चयनित कया गया ।

योजना का चयन: यदि हो तो ---कोई नहीं-----

का वस्तृत वश्लेषण कया गया। प्रतिचयन ....------ ....

(Vii) लेखापरीक्षा भारत के संवधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 16 एवं लेखा तथा लेखापरीक्षा वनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग 2 अ

प्रस्तर- 1: अपरिहार्य वा षक भाटक कम जमा कराये जाने के परिणामस्वरूप राजस्व क्षति ` 62.09 लाख ।

उत्तराखंड शासन, औद्यो गक वकास अनुभाग-2 के कार्यालय ज्ञाप सं॰ 2911/VII-II /2015/146-ख/10/2011, देहरादून, दिनाँक 18 नवम्बर 2011 द्वारा प्रख्या पत उत्तराखण्ड खनिज नीति, 2011 के बिन्दु सं॰ 2 के अनुसार मा॰ उच्च न्यायालय से एन॰पी॰वी॰ मुक्त निगम/संस्था को छोड़कर शेष निगम एवं निजी पट्टाधारकों के द्वारा खनन पट्टा वलेख का निष्पादन उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली, 2001 के नियम-14 के अन्तर्गत कराया जाना आवश्यक होगा तथा उनके द्वारा नियम-22 की द् वतीय अनुसूची में निर्धारित अपरिहार्य भाटक तथा नियम-21 के प्रथम अनुसूची में निर्धारित रॉयल्टी का भुगतान पट्टा वलेख की शर्तों के अनुसार कया जायेगा । खनन पट्टाधारकों द्वारा निष्पादित पट्टा वलेख के भाग-2 की शर्तों के अनुसार पट्टेदार प्रत्येक खनिज के सम्बंध में अपरिहार्य भाटक या स्वा मत्व (रॉयल्टी) का, जो धनरा श इसमें से अ धक हो, देनदार होगा कन्तु दोनों का नहीं ।

कार्यालय जिला खान अ धकारी, चम्पावत के लेखा भलेखों की नमूना लेखापरीक्षा में पाया गया क 09 निजी भू म पट्टाधारकों (संलग्न सूची अनुसार) द्वारा 26 प्रकरणों में से केवल 05 प्रकरणों में ही अ धक निकासी कये जाने के फलस्वरूप देय रॉयल्टी जो क अपरिहार्य भाटक से अ धक थी, नियमानुसार जमा की गयी थी । शेष 21 प्रकरणों में देय अपरिहार्य वा षक भाटक ` 6209467/- नियमानुसार जमा कराया जाना था जो क जमा नहीं कराया गया था । जिसके परिणामस्वरूप वभाग धनरा श ` 6209467/- के राजस्व प्राप्ति से वं चत रहा जिस पर नियमानुसार जमा कराये जाने की ति थ तक ब्याज भी देय होगा ।

लेखापरीक्षा द्वारा इसे इं गत कए जाने पर इकाई ने अपने उत्तर में बताया क पट्टाधारकों द्वारा अपरिहार्य वा षक भाटक कम जमा कराये जाने के सम्बंध में पट्टाधारकों द्वारा कोई स्वीकृति नहीं ली गयी थी और न ही पट्टाधारकों द्वारा उक्त धनरा श जमा करायी गयी थी । आगे इकाई द्वारा अपने उत्तर में यह कहा गया क पट्टाधारकों को नोटिस जारी कर कृत कार्यवाही से लेखापरीक्षा को अवगत करा दिया जायेगा ।

अतः राजस्व क्षति ` 6209467/- का प्रकरण आवश्यक कार्यवाही हेतु शासन के संज्ञान में लाया जाता है ।

जनपद चम्पावत के अन्तर्गत अपरिहार्य भाटक /रॉयल्टी का ववरण

`

क्रं. सं.	पट्टाधारक का नाम	पट्टा वलेख की ति थ	अव ध (वर्ष में)	अपरिहार्य वा षक भाटक (` में)		जमा कये गये भाटक की अव ध	जमा भाटक/रॉयल्टी (` में)	अंतर (रु में)	टिप्पणी
-	-	-	-	वर्ष	भाटक की रा श	-	-	-	-
1	श्रीमती दीपा खर्कवाल पत्नी उमेश चन्द्र खर्कवाल, मल्ली बाज़ार, चम्पावत	12.02.2014	5 वर्ष	I	332000	02/14 to 01/15	487780	155780	सही जमा है
				II	415000	02/15 to 01/16	218610	-196390	कम जमा है
				III	518750	02/16 to 01/17	332159	-186591	कम जमा है
2	श्री जगदीश चन्द्र शर्मा पुत्र श्री घनश्याम शर्मा, उदाली, चम्पावत	04.03.2014	5 वर्ष	I	575700	03/14 to 02/15	431775	-143925	कम जमा है
				II	719625	03/15 to 02/16	575700	-143925	कम जमा है
				III	899531	03/16 to 02/17	545476	-354055	कम जमा है
3	ल लत मोहन अ धकारी पुत्र श्री आन संह अ धकारी, सनेमा लाइन पथौरागढ़	11.04.2014	5 वर्ष	I	1304150	04/14 to 03/15	978110	-326040	कम जमा है
				II	1630188	04/15 to 03/16	1304150	-326038	कम जमा है
				III	2037734	04/16 to 03/17	356965	-1680769	कम जमा है
4	मै. शोहम इन्नोवैटिव वेंचर, चल्थी, चम्पावत	29.04.14	5 वर्ष	I	944800	04/14 to 03/15	1409270	464470	सही जमा है
				II	1181000	04/15 to 03/16	647190	-533810	कम जमा है
				III	1476250	04/16 to 03/17	1143361	-332889	कम जमा है
5	श्री मुकेश महाराणा पुत्र श्री शवराज संह महाराणा, बिरगुल, चम्पावत	12.02.2014	5 वर्ष	I	380475	02/14 to 01/15	285356	-95119	कम जमा है
				II	475594	02/15 to 01/16	419400	-56194	कम जमा है
				III	594492	02/16 to 01/17	476037	-118455	कम जमा है
6	श्रीमती संतोष वर्मा पत्नी श्री प्रशांत वर्मा, चांदमारी,	12.02.2014	5 वर्ष	I	299250	02/14 to 01/15	239727	-59523	कम जमा है
				II	374063	02/15 to 01/16	197820	-176243	कम जमा है

	लोहाघाट, चम्पावत			III	467578	02/16 to 01/17	371766	-95812	कम जमा है
7	श्री शेर संह पुत्र श्री दान संह, बाराकोट, चम्पावत	13.03.2015	5 वर्ष	I	129700	03/15 to 02/16	209135	79435	सही जमा है
				II	162125	03/16 to 02/17	27594	-134531	कम जमा है
8	श्रीमती तारा पांगती पत्नी श्री पुष्कर पांगती, नौलापानी, चम्पावत	31.10.2013	5 वर्ष	I	497610	11/13 to 10/14	589390	91780	सही जमा है
				II	622013	11/14 to 10/15	625000	2988	सही जमा है
				III	777516	11/15 to 10/16	500000	-277516	कम जमा है
9	मै॰ संगम मनरल्स, सलथाम रोड, चम्पावत	01.03.2014	5 वर्ष	I	591375	03/14 to 02/15	443530	-147845	कम जमा है
				II	739219	03/15 to 02/16	583125	-156094	कम जमा है
				III	924023	03/16 to 02/17	256320	-667703	कम जमा है
	TOTAL							**-6209467**	कम जमा है

भाग 2 अ

प्रस्तर- 2: रिवर ट्रेनिंग, वकास शुल्क व क्षतिपूर्ति शुल्क जमा न कराया जाने के परिणामस्वरूप राजस्व क्षति ` 21.08 लाख ।

उत्तराखंड, औद्योगक वकास वभाग के कार्यालय ज्ञाप सं॰ 1033/VII-1/2015/146-ख/2010 देहरादून, दिनाँक 31-07-2015 द्वारा प्रख्यापत उत्तराखण्ड उपखनिज (बालू, बजरी, बोल्डर, ईंट आदि) नीति, 2015 के बिन्दु सं॰ 3(3) के अनुसार रिवर ट्रेनिंग रॉयल्टी का 15% एवं वकास शुल्क रॉयल्टी का 10% अतिरिक्त रूप से देय होगा और यह निजी पट्टाधारकों पर भी लागू होगा । पुनः उत्तराखंड शासन, औद्योगक वकास वभाग के कार्यालय ज्ञाप सं॰ 1689/VII-1/80-ख/2016 देहरादून, दिनाँक 28.10.2016 द्वारा शासन के कार्यालय ज्ञाप सं॰ 1585/80-ख/2016 दिनाँक 10.10.2016 द्वारा प्रख्यापत उत्तराखण्ड उपखनिज (बालू, बजरी, बोल्डर) चुगान नीति, 2016 के बिन्दु सं॰ - 7 के प्रावधानानुसार संशोधन करते हुये उप-खनिज की निकासी हेतु निजी भूम में रिवर ट्रेनिंग रॉयल्टी का 15% एवं वकास शुल्क रॉयल्टी का 10% एवं क्षतिपूर्ति रॉयल्टी का 15% कये जाने का प्रावधान कया गया था ।

कार्यालय जिला खान अधकारी, चम्पावत के लेखाभलेखों की नमूना लेखापरीक्षा में पाया गया क 09 निजी भूम पट्टाधारकों (संलग्न सूची अनुसार) द्वारा रिवर ट्रेनिंग एवं वकास शुल्क ` 18,53,251/- तथा क्षतिपूर्ति शुल्क `2,55,216/- (कुल ` 21,08,467/-) जमा नहीं कराया गया था । जिसके परिणामस्वरूप वभाग धनराश ` 21,08,467/- के राजस्व प्राप्ति से वंचत रहा ।

लेखापरीक्षा द्वारा इसे इंगत कए जाने पर इकाई ने अपने उत्तर में बताया क रिवर ट्रेनिंग, वकास शुल्क तथा क्षतिपूर्ति शुल्क जमा कराये जाने के सम्बंध में इकाई द्वारा पट्टाधारकों को कोई छूट प्रदान नहीं की गयी थी और न ही पट्टाधारकों द्वारा उक्त शुल्क जमा कराया गया था । आगे इकाई द्वारा यह भी बताया गया क पट्टाधारकों को नोटिस जारी कर कृत कार्यवाही से लेखापरीक्षा को अवगत कराया जायेगा ।

अतः राजस्व क्षति ` 21,08,467/- का प्रकरण आवश्यक कार्यवाही हेतु शासन के संज्ञान में लाया जाता है ।

क्रं॰ सं॰	पट्टाधारक का नाम	वर्ष/त्रैमास	जमा रॉयल्टी (रु में)	रॉयल्टी जमा की ति थ	रिवर ट्रेनिंग व वकास शुल्क (रॉयल्टी का 25%) **31.07.15 से**	क्षतिपूर्ति शुल्क (रॉयल्टी का 15%) **28.10.2016 से**
1	श्रीमती दीपा खर्कवाल पत्नी उमेश चन्द्र खर्कवाल, मल्ली बाज़ार, चम्पावत	11/15 to 01/16	54720	29.03.2016	13680	0
		02/16 to 04/16	34200	16.04.2016	8550	0
		02/16 to 04/16	79558	24.05.2016	19890	0
		05/16 to 07/16	11821	16.09.2016	2955	0
		11/16 to 01/17	70950	06.02.2017	17738	10643
		balance	135630	04.02.2017	33908	20345
2	श्री जगदीश चन्द्र शर्मा पुत्र श्री घनश्याम शर्मा, उदाली, चम्पावत	09/15 to 11/15	72000	16.04.2016	18000	0
		12/15 to 02/16	100000	20.05.2016	25000	0
		12/15 to 02/16	66000	27.05.2016	16500	0
		12/15 to 02/16	50000	02.06.2016	12500	0
		12/15 to 02/16	50000	03.06.2016	12500	0
		12/15 to 02/16	78130	04.06.2016	19533	0
		03/16 to 05/16	160000	28.06.2016	40000	0
		03/16 to 05/16	20602	04.07.2016	5151	0
		06/16 to 08/16	15184	07.02.2017	3796	0
		09/16 to 11/16	10560	07.02.2017	2640	0
		12/16 to 02/17	339130	08.02.2017	84783	50870
3	श्री ल लत मोहन अ धकारी पुत्र श्री आन संह अ धकारी, सनेमा लाइन पथौरागढ़	07/15 to 09/15	150000	11.12.2015	37500	0
		07/15 to 09/15	154800	15.10.2015	38700	0
		10/15 to 12/15	150000	09.02.2016	37500	0
		01/16 to 03/16	200000	04.07.2016	50000	0
		01/16 to 03/16	100000	15.09.2016	25000	0
		01/16 to 03/16	100000	20.08.2016	25000	0

		01/16 to 03/16	276150	17.10.2016	69038	0
		04/16 to 06/16	57765	09.01.2017	14441	0
		04/16 to 06/16	299200	29.11.2016	74800	0
4	मै॰ शोहम इन्नोवैटिव वैंचर, चल्थी, चम्पावत	10/15 to 12/15	390060	29.02.2015	97515	0
		01/16 to 03/16	113130	23.05.2016	28283	0
		04/16 to 06/16	495900	08.11.2016	123975	0
		04/16 to 06/16	232981	03.02.2017	58245	0
		10/16 to 12/16	337700	03.02.2017	84425	50655
		01/2017	76780	04.02.2017	19195	11517
5	श्री मुकेश महाराणा पुत्र श्री शवराज संह महाराणा, बिरगुल, चम्पावत	11/15 to 01/16	104400	03.03.2016	26100	0
		02/16 to 04/16	127645	06.06.2016	31911	0
		05/16 to 07/16	276782	16.08.2016	69196	0
		11/16 to 01/17	71610	22.02.2017	17903	10742
		02/17	51680	22.02.2017	12920	7752
		03/17	100000	27.03.2017	25000	15000
6	श्रीमती संतोष वर्मा पत्नी श्री प्रशांत वर्मा, चांदमारी, लोहाघाट, चम्पावत	08/15 to 10/15	6390	20.02.2016	1598	0
		11/15 to 01/16	57870	23.02.2016	14468	0
		02/16 to 04/16	64806	26.09.2016	16202	0
		05/16 to 07/16	108740	17.10.2016	27185	0
		08/16 to 07/16	1760	20.01.2017	440	0
		11/16 to 01/17	88000	06.02.17	22000	13200
		11/16 to 01/17	108460	07.02.2017	27115	16269
7	श्री शेर संह पुत्र श्री दान संह, बाराकोट, चम्पावत	09/15 to 11/15	54000	31.12.2015	13500	0
		12/15 to 01/16	57960	22.06.2016	14490	0
		03/16 to 05/16	27594	22.06.2016	6899	0
8	श्रीमती तारा पांगती पत्नी श्री पुष्कर पांगती, नौलापानी, चम्पावत	10/15	50000	08.10.2015	12500	0
		11/15	75000	16.11.2015	18750	0
		11/15 to 01/16	50000	10.02.2016	12500	0
		02/16 to 04/16	250000	02.05.2016	62500	0
		05/16 to 07/16	100000	13.06.2016	25000	0
		08/16 to 10/16	100000	20.10.2016	25000	0
		11/16 to 01/17	90000	01.02.2017	22500	13500
		11/16 to 01/17	44640	04.02.2017	11160	6696
		02/17	69190	11.02.2017	17298	10379
		03/17	69190	18.02.2017	17298	10379
9	मै॰ संगम मनरल्स, सलथाम रोड, चम्पावत	12/15 to 02/16	267715	14.10.2016	66929	0
		12/15 to 02/16	200000	26.10.2016	50000	0
		09/16 to 11/16	60720	12.04.2017	15180	0
		12/16 to 01/17	48480	12.04.2017	12120	7272
		03/16 to 02/17	147420	12.04.2017	36855	0
	Total				**1853251**	**255216**
	Grand Total				**2108467**	

भाग 2 ब

प्रस्तर- 01: अपरिहार्य वार्षिक भाटक/रॉयल्टी विलम्ब से जमा कराये जाने पर ` 9.98 लाख ब्याज न जमा कराया जाना ।

उत्तराखण्ड सरकार उद्योग (च) विभाग की विज्ञप्ति दिनाँक 26.08.2001 द्वारा प्रख्यापित उत्तराखंड उप-खनिज (परिहार) नियमावली, 2001 के नियम-58(1) के अनुसार राज्य सरकार या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अधिकारी, पट्टेदार पर इस बात की सूचना तामील करने के पश्चात कि वह सूचना प्राप्त होने के दिनाँक से तीस दिन के भीतर राज्य सरकार को देय स्वामित्व (रॉयल्टी) सहित पट्टे के अधीन देय कोई धनराशि या अपरिहार्य भाटक का भुगतान करे । नियम 58(2) के अनुसार उपनियम (1) के अधीन सूचना की अवधि के समाप्ति के पश्चात इस नियमावली के अधीन राज्य सरकार को देय किसी भाटक, स्वामित्व, सीमांकन शुल्क और किन्ही अन्य देयों पर 24 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज लिया जा सकता है ।

उत्तराखंड शासन, औद्योगिक विकास अनुभाग (2) के कार्यालय ज्ञाप सं॰ 2911/VII-II/146-ख/10/2011 देहरादून, दिनाँक 18.11.2011 द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड खनिज नीति, 2011 के बिन्दु 5(5) के अनुसार समस्त पट्टाधारक/अनुज्ञा पत्रधारक/भंडारण स्वामी को निर्गत किये जाने वाले परिवहन प्रपत्रों पर खनिज की मात्रा का निर्धारण कर रॉयल्टी की धनराशि अग्रिम रूप से जमा करायी जायेगी । पुनः उत्तराखंड शासन, औद्योगिक विकास विभाग के कार्यालय ज्ञाप सं॰ 1033/VII-1/2015/146-ख/2010 देहरादून, दिनाँक 31-07-2015 द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड उपखनिज (बालू, बजरी, बोल्डर, ईंट आदि) नीति, 2015 के बिन्दु सं॰ 9(4) (पाँच) के अनुसार खनन संक्रियाएँ प्रारम्भ करने के पश्चात पट्टेधारक द्वारा आगामी माह की 20 तारीख तक अग्रिम जमा किया जाएगा। निर्धारित तिथि तक अग्रिम जमा न किए जाने की दशा में खान अधिकारी द्वारा 10 दिन के भीतर विलम्ब शुल्क 15 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित जमा किये जाने का नोटिस जारी किया जायेगा।

कार्यालय जिला खान अधिकारी, चम्पावत के लेखाभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा में पाया गया कि 09 निजी भूमि पट्टाधारकों (संलग्न सूची अनुसार) द्वारा देय अपरिहार्य भाटक अथवा रॉयल्टी की धनराशि देय तिथि से विलम्ब से जमा करायी गयी थी । विलम्ब से जमा अपरिहार्य भाटक अथवा रॉयल्टी पर उपरोक्त वर्णित नियमानुसार ब्याज ` 998115/- भी देय था जो कि पट्टाधारकों द्वारा जमा नहीं कराया गया था ।

लेखापरीक्षा द्वारा इसे इंगित किए जाने पर इकाई ने अपने उत्तर में बताया कि पट्टाधारकों से ब्याज की वसूली किये जाने के सम्बंध में कोई चालान जमा नहीं है । आगे इकाई द्वारा अपने उत्तर में यह कहा गया कि पट्टाधारकों को नोटिस जारी कर कृत कार्यवाही से लेखापरीक्षा को अवगत करा दिया जायेगा ।

अतः ब्याज की राशि ` 998115/- जमा न कराये जाने का प्रकरण आवश्यक कार्यवाही हेतु शासन के संज्ञान में लाया जाता है ।

जनपद चम्पावत के अन्तर्गत अपरिहार्य भाटक /रॉयल्टी वलम्ब से जमा का ववरण

क्रं॰ सं॰	पट्टाधारक का नाम	अव ध	जमा भाटक/रॉयल्टी (रु में)	जमा करने की ति थ	जमा कया गया (माह/ति थ)	-	वलम्ब (माह में)	देय ब्याज @ 24% वा र्षक(31.07.15 तक) उसके बाद 15%)
-	-	-	-	-	-	माह	दि न	-
1	श्रीमती दीपा खर्कवाल पत्नी उमेश चन्द्र खर्कवाल, मल्ली बाज़ार, चम्पावत	02/14 to 04/14	127870	Feb-14	13.08.2014	5	13	13880
		05/14 to 07/14	158310	May-14	09.10.2014	4	9	13602
		08/14 to 10/14	72000	Aug-14	27.04.2015	7	27	11358
		11/14 to 01/15	129600	Aug-14	18.06.2015	6	18	17086
		02/15 to 04/15	72000	Feb-15	31.08.2015	5	31	5417
		05/15 to 07/15	91890	May-15	02.12.2015	6	2	6967
		11/15 to 01/16	54720	Nov-15	29.03.2016	3	29	2704
		02/16 to 04/16	34200	Feb-16	16.04.2016	1	16	652
		02/16 to 04/16	79558	Feb-16	24.05.2016	2	24	2774
		05/16 to 07/16	11821	May-16	16.09.2016	3	16	521
		11/16 to 01/17	70950	Nov-16	06.02.2017	2	6	1949
2	श्री जगदीश चन्द्र शर्मा पुत्र श्री घनश्याम शर्मा, उदाली, चम्पावत	03/14 to 05/14	68475	Mar-14	13.08.2014	4	13	6063
		03/14 to 05/14	46620	Mar-14	15.06.2015	14	15	13513
		06/14 to 08/14	46800	Jun-14	15.06.2015	11	15	10758
		09/14 to 11/14	12240	Sep-14	15.06.2015	8	15	2079
		12/14 to 02/15	55000	Dec-14	07.10.2015	9	7	10153
		12/14 to 02/15	58640	Dec-14	09.12.2015	11	9	8280
		12/14 to 02/15	144000	Dec-14	09.12.2015	11	9	20333
		Mar-15	10000	Mar-15	15.12.2015	8	15	1062
		03/15 to 05/15	5570	Mar-15	26.02.2016	10	26	756
		03/15 to 05/15	50000	Mar-15	28.12.2015	8	28	5575
		06/15 to 08/15	94000	Jun-15	29.02.2016	7	29	9345

		09/15 to 11/15	72000	Sep-15	16.04.2016	6	16	5873
		12/15 to 02/16	100000	Dec-15	20.05.2016	4	20	5822
		12/15 to 02/16	66000	Dec-15	27.05.2016	4	27	4032
		12/15 to 02/16	50000	Dec-15	02.06.2016	5	2	3166
		12/15 to 02/16	50000	Dec-15	03.06.2016	5	3	3187
		12/15 to 02/16	78130	Dec-15	04.06.2016	5	4	5012
		03/16 to 05/16	160000	Mar-16	28.06.2016	2	28	5841
		03/16 to 05/16	20602	Mar-16	04.07.2016	3	4	806
		06/16 to 08/16	15184	Jun-16	07.02.2017	7	2	1341
		09/16 to 11/16	10560	Sep-16	07.02.2017	4	7	558
		12/16 to 02/17	339130	Dec-16	08.02.2017	1	8	5354
3	श्री ल लत मोहन अ धकारी पुत्र श्री आन संह अ धकारी, सनेमा लाइन पथौरागढ़	10/14 to 12/14	200000	Oct-14	5.12.2014	1	5	4658
		01/15 to 03/15	300000	Jan-15	02.02.2015	0	0	0
		01/15 to 03/15	400000	Jan-15	16.05.2015	3	16	28208
		01/15 to 03/15	78110	Jan-15	01.06.2015	4	0	6249
		04/15 to 06/15	173200	Apr-15	15.10.2015	5	15	11893
		07/15 to 09/15	150000	Jul-15	11.12.2015	4	11	8178
		07/15 to 09/15	154800	Jul-15	15.10.2015	2	15	4824
		10/15 to 12/15	150000	Oct-15	09.02.2016	3	9	6180
		01/16 to 03/16	200000	Jan-16	04.07.2016	5	4	12829
		01/16 to 03/16	100000	Jan-16	15.09.2016	7	15	9366
		01/16 to 03/16	100000	Jan-16	20.08.2016	6	20	8322
		01/16 to 03/16	276150	Jan-16	17.10.2016	8	17	29544
		04/16 to 06/16	57765	Apr-16	09.01.2017	8	9	5990
		04/16 to 06/16	299200	Apr-16	29.11.2016	6	29	26006
4	मै॰ शोहम इन्नोवैटिव वैंचर, चल्थी, चम्पावत	04/14 TO 06/14	594500	Apr-14	18.11.2014	6	18	78376
		10/14 to 12/14	529650	Oct-14	24.03.2014	4	24	50730
		01/15 to 03/15	285120	Jan-15	09.06.2015	4	9	24497
		04/15 to 06/15	144000	Apr-15	25.08.2015	3	25	6879
		10/15 to 12/15	390060	Oct-15	29.02.2016	3	29	19276
		01/16 to 03/16	113130	Jan-16	23.05.2016	3	23	5312
		04/16 to 06/16	495900	Apr-16	08.11.2016	6	8	38823
		04/16 to 06/16	232981	Apr-16	03.02.2017	9	3	26498
		10/16 to 12/16	337700	Oct-16	03.02.2017	3	3	13080
5	श्री मुकेश महाराणा पुत्र श्री शवराज संह महाराणा, बिरगुल, चम्पावत	02/14 to 04/14	80210	Feb-14	19.08.2014	5	19	9023
		05/14 to 07/14	136080	May-14	08.09.2014	3	8	8881
		11/14 to 01/15	69075	Nov-14	27.02.2015	2	27	3989
		05/15 to 07/15	315000	May-15	02.12.2015	6	2	23884
		11/15 to 01/16	104400	Nov-15	03.03.2016	3	3	4044
		02/16 to 04/16	127645	Feb-16	06.06.2016	3	6	5101
		05/16 to 07/16	276782	May-16	16.08.2016	2	16	8739
		11/16 to 01/17	71610	Nov-16	22.02.2016	2	22	2438
6	श्रीमती संतोष	02/14 to 04/14	124717	Feb-14	22.08.2014	5	22	14276
		05/14 to 07/14	22040	May-14	14.02.2015	8	14	3729

	वर्मा पत्नी श्री प्रशांत वर्मा, चांदमारी, लोहाघाट, चम्पावत	08/14 to 10/14	3060	Aug-14	20.02.2015	5	20	346
		11/14 to 01/15	89910	Nov-14	12.05.2015	6	12	11499
		02/15 to 04/15	76230	Feb-15	14.09.2015	6	14	6156
		05/15 to 07/15	57330	May-15	12.10.2015	4	12	3149
		08/15 to 10/15	6390	Aug-15	20.02.2016	6	20	532
		11/15 to 01/16	57870	Nov-15	23.02.2016	2	23	1994
		02/16 to 04/16	64806	Feb-16	26.09.2016	6	26	5553
		05/16 to 07/16	108740	May-16	17.10.2016	4	17	6197
		08/16 to 10/16	1760	Aug-16	20.01.2017	4	20	102
		11/16 to 01/17	196460	Nov-16	06.02.2017	2	6	5396
7	श्री शेर संह पुत्र श्री दान संह, बाराकोट, चम्पावत	03/15 to 05/15	84125	Mar-15	19.08.2015.	4	19	4863
		06/15 to 08/15	13050	Jun-15	09.10.2015	3	9	538
		09/15 to 11/15	54000	Sep-15	31.12.2015	3	0	2025
		12/15 to 02/16	57960	Dec-15	22.06.2016	5	22	4147
		03/16 to 05/16	27594	Mar-16	22.06.2016	2	22	939
8	श्रीमती तारा पांगती पत्नी श्री पुष्कर पांगती, नौलापानी, चम्पावत	11/13 to 01/14	339995	Nov-13	06.02.2014	2	6	14941
		02/14 to 04/14	139770	Feb-14	06.05.2014	2	6	6142
		05/14 to 07/14	109620	May-14	14.08.2014	2	14	5394
		02/15 to 04/15	216000	Feb-15	05.05.2015	2	5	9350
		05/15 to 07/15	144000	May-15	21.07.2015	1	21	4868
		05/15 to 07/15	100000	May-15	04.08.2015	2	4	2664
		05/15 to 07/15	40000	May-15	21.08.2015	2	21	1345
		08/15 to 10/15	50000	Aug-15	08.10.2015	1	8	789
		08/15 to 10/15	750000	Aug-15	16.11.2015	2	16	23682
		11/15 to 01/16	50000	Nov-15	10.02.2016	2	10	1455
		02/16 to 04/16	250000	Feb-16	02.05.2016	2	2	6455
		05/16 to 07/16	100000	May-16	13.06.2016	0	13	534
		08/16 to 10/16	100000	Aug-16	20.10.2016	1	20	2072
		11/16 to 01/17	90000	Nov-16	01.02.2017	2	1	2287
		11/16 to 01/17	44640	Nov-16	04.02.2017	2	4	1189
9	मै॰ संगम मनरल्स, सलथाम रोड, चम्पावत	09/14 to 11/14	66420	Sep-14	09.01.2015	3	9	4378
		12/14 to 02/15	48860	Dec-14	18.12.2015	11	18	7080
		12/14 to 02/15	128250	Dec-14	25.04.2015	3	25	6127
		12/14 to 02/15	200000	Dec-14	07.12.2015	11	7	28075
		03/15 to 05/15	64210	Mar-15	29.02.2016	10	29	8791
		03/15 to 05/15	50000	Mar-15	18.12.2015	8	18	5370
		12/15 to 02/16	267715	Dec-15	14.10.2016	9	14	31658
		12/15 to 02/16	200000	Dec-15	26.10.2016	9	26	24637
		09/16 to 11/16	60720	Sep-16	12.04.2017	6	12	4853
		12/16 to 01/17	48480	Dec-16	12.04.2017	3	12	2057
		03/16 to 02/17	147420	Mar-16	12.04.2017	12	12	22840
	TOTAL							**998115**

<u>भाग 2 ब</u>

<u>प्रस्तर-</u> 2<u>:</u> मा सक ववर णयाँ प्रस्तुत न करने पर अर्थदण्ड का अनारोपण ` 3.40 लाख।

उत्तराखंड उप-खनिज (परिहार) नियमावली, 2001 के नियम-73 के अनुसार खनिज परिहार धारक, पूर्ववर्ती त्रैमास के सम्बंध में ववरणी अनुवर्ती माह के द् वतीय सप्ताह में प्रपत्र एम॰ एम॰-12 में जिला अ धकारी और निदेशक के क्षेत्रीय कार्यालय को प्रस्तुत करेगा । पुनः उत्तराखंड, औद्यो गक वकास वभाग के कार्यालय ज्ञाप सं॰ 1033/VII-1/2015/146-ख/2010 देहरादून, दिनाँक 31-07-2015 द्वारा प्रख्या पत उत्तराखण्ड उपखनिज (बालू, बजरी, बोल्डर, ईंट आदि) नीति, 2015 के बिन्दु सं॰ 6(6) के अनुसार त्रैमा सक ववरणी के स्थान पर मा सक ववरणी का प्रावधान करते हुए अर्थदण्ड की धनरा श को बढ़ाकर ` 2000 कर दिया गया था ।

कार्यालय जिला खान अ धकारी, चम्पावत के लेखा भलेखों की नमूना लेखापरीक्षा में पाया गया क 09 पट्टाधारकों एवं 01 स्टोन क्रैशर संचालक (संलग्न सूची अनुसार) द्वारा अपनी मा सक ववरणी या तो वलम्ब से जमा की गयी थी या जमा नहीं की गयी थी । अतः उपरोक्त नियमानुसार, 09 पट्टाधारकों एवं 01 स्टोन क्रैशर संचालक (संलग्न सूची अनुसार) द्वारा अपनी 170 मा सक ववर णयाँ वलम्ब से प्रस्तुत करने या प्रस्तुत न करने के कारण उन पर ` 2000 प्रति मा सक  ववरणी की दर से `3,40,000/- अर्थदण्ड आरोपणीय था जो क आरो पत होने से रह गया था । जिसके परिणामस्वरूप वभाग ` 3,40,000/- अर्थदण्ड के रूप में प्राप्त करने से वं चत रहा ।

लेखापरीक्षा द्वारा इसे इं गत कए जाने पर इकाई ने अपने उत्तर में बताया क ववरणी वलम्ब से अथवा प्रस्तुत न करने के सम्बंध में इकाई द्वारा कोई समय सीमा नहीं प्रदान की गयी थी और न ही इस हेतु नोटिस ही जारी कया गया था ।

अतः अर्थदण्ड ` 3,40,000/- आरो पत न करने का प्रकरण आवश्यक कार्यवाही हेतु उच्चा धकारियों के संज्ञान में लाया जाता है ।

जनपद चम्पावत के अन्तर्गत खनिज पट्टाधारकों के खनिज सम्बन्धी मा सक ववरणी से संबन्धित

क्रम॰ सं॰	निजी पट्टाधारक/स्टोन क्रैशर का नाम (सर्वश्री/श्रीमती)	पट्टा वलेख/ स्वीकृति ति थ	वलम्ब से जमा मा सक ववरणी का माह	कुल माह	अर्थदण्ड (@ र 2000/माह) 31.07.15 से	टिप्पणी
1	श्रीमती दीपा खर्कवाल पत्नी उमेश चन्द्र खर्कवाल, मल्ली बाज़ार, चम्पावत	12.02.2014	08/15 से 09/15, 11/15, 12/15, 02/16, 03/16, 05/16 से 01/17	15	30000.00	08/16 से 01/17 की ववरणी जमा नहीं है
2	श्री जगदीश चन्द्र शर्मा पुत्र श्री घनश्याम शर्मा, उदाली, चम्पावत	04.03.2014	08/15 से 02/17	19	38000.00	12/16 से 02/17 की ववरणी जमा नहीं है
3	श्री ल लत मोहन अ धकारी पुत्र श्री आन संह अ धकारी, सनेमा लाइन पथौरागढ़	11.04.14	08/15, 10/15, 11/15, 01/16, 02/16, 04/16, 05/16, 07/16, 08/16, 10/16, 11/16, 01/17 से 03/17	14	28000.00	01/17 से 03/17 की ववरणी जमा नहीं है
4	मै॰ शोहम इन्नोवैटिव वैंचर, चल्थी, चम्पावत	29.04.2014	08/15, 10/15 से 06/16, 07/16, 08/16, 10/16 से 03/17	18	36000.00	01/17 से 03/17 की ववरणी जमा नहीं है
5	श्री मुकेश महाराणा पुत्र श्री शवराज संह महाराणा, बिरगुल, चम्पावत	12.02.2014	08/15, 09/15, 11/15 से 07/16, 08/16, 09/16, 11/16, 12/16 व 03/17	16	32000.00	03/17 की ववरणी जमा नहीं है
6	श्रीमती संतोष वर्मा पत्नी श्री प्रशांत वर्मा, चांदमारी, लोहाघाट, चम्पावत	12.02.2014	08/15 से 12/16, 02/17, 03/17	19	38000.00	02/17 व 03/17 की ववरणी जमा नहीं है
7	श्री शेर संह पुत्र श्री दान संह, बाराकोट, चम्पावत	13.03.2015	08/15 से 10/15, 12/15, 01/16, 03/16 से 07/16, 09/16, 10/16, 12/16 से	16	32000.00	03/17 की ववरणी जमा नहीं है

			03/17			
8	श्रीमती तारा पांगती पत्नी श्री पुष्कर पांगती, नौलापानी, चम्पावत	31.10.2013	08/15 से 12/15, 02/16 से 03/17	19	38000.00	08/15 से 10/15 व 05/16 से 03/17 की ववरणी जमा नहीं है
9	मै॰ संगम मनरल्स, सलथाम रोड, चम्पावत	01.03.2014	09/15, 10/15, 12/15, 01/16, 03/16, 04/16, 06/16, 07/16, 09/16 से 01/17 व 03/17	14	28000.00	03/17 की ववरणी जमा नहीं है
10	मै॰ माँ पूर्णा गरी स्टोन क्रैशर, डोलपट्टी, चम्पावत	27.05.2014	08/15 से 03/17	20	40000.00	08/15 से 01/17 की ववरणी जमा नहीं है
योग				170	3,40,000.00	

भाग-III

राजस्व से संबंधित वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का ववरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या
इकाई की प्रथम लेखापरीक्षा है		

व्यय से संबंधितः वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का ववरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या

वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

(1) राजस्व से संबंधित इकाई द्वारा निस्पादित अच्छे कार्य -टिप्पणी शून्य

(2) राजस्व से संबंधित इकाई द्वारा निस्पादित अच्छे कार्य -टिप्पणी शून्य

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु जिला खान अ धकारी चम्पावत तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः

शून्य

2. **सतत् अनियमितताएः**

शून्य

3.**लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

क्रम सं0	नाम	पदनाम
1	श्री लेखराज	उपनिदेशक/भू-वैज्ञानिक(खनन)

लघु एवं प्र क्रयात्मक अनिय मतताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मि लत कर एक प्रति जिला खान अ धकारी चम्पावत को इस आशय से प्रे षत कर दी जायेगी क अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार (राजस्व), कार्यालय महालेखाकर (लेखापरीक्षा)- उत्तराखंड, देहारादून को प्रे षत कर दी जांय।

लेखापरीक्षा अधिकारी